रिश्तों को मजबूत करने का लिया संकल्प

- आपसी संबंधों को और गहरा करने पर सहमति
- भारत-नेपाल की द्विपक्षीय वार्ता में हुए अहम समझौते

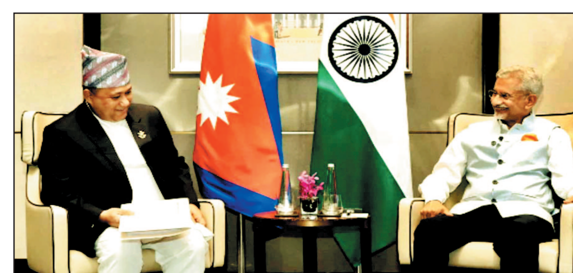

नई दिल्ली, 07 जून. नई दिल्ली स्थित नेपाल दूतावास ने शनिवार को नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनल और उनके भारतीय समकक्ष एस. जयशंकर के बीच वार्ता के दौरान भारत और नेपाल अपने द्विपक्षीय संबंधों को अधिक गहरा और व्यापक बनाने पर सहमत हुए.

प्रेस रिलीज में कहा गया, दोनों पक्ष विकास साझेदारी, बेहतर कनेक्टिविटी और आपसी फायदे के जरूरी क्षेत्र में मजबूत साझेदारी के जरिए आपसी संबंधों को और गहरा और बड़ा करने पर सहमत हुए. बताया गया कि दोनों मंत्रियों ने जून 2023 में साइन किए गए एनसीएचएल और एनपीसीआई के बीच एमओयू के तहत पी2पी क्रॉस-बॉर्डर पेमेंट ट्रांजेक्शन को चालू करने और भारत की डेवलपमेंट मदद से नेपाल में बने 72 स्वास्थ्य क्षेत्र और 12 सांस्कृतिक क्षेत्र के भूकंप के बाद के रिकंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स को सौंपने के बारे में मिलकर घोषणाएं कीं. काठमांडू यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग के सेंटर फॉर डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल इंडिया भाषानी डिवीजन के बीच वॉइस फर्स्ट लैंग्वेज ट्रांसलेशन प्लेटफॉर्म के लिए नेशनल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मिलकर बनाने के लिए एमओयू एक्सचेंज हुआ.

> उन्होंने आपसी चिंता के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी चर्चा की, जिसमें मल्टीलेटरल फोरम में सहयोग भी शामिल है. खनाल ने शनिवार को नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से उनके दफ्तर में मुलाकात की. दोनों ने नेपाल-भारत के आपसी संबंधों को और मजबूत करने से जुड़े कई मामलों पर चर्चा की. नेपाल के विदेश मंत्री खनाल रविवार को काठमांडू लौटने वाले हैं.

खातों से रुपए निकालने वाले बदमाश गिरफ्तार

ग्रेटर नोएडा. उत्तर प्रदेश में ग्रेटर नोएडा के बिसरख थाना पुलिस ने एटीएम मशीनों में धोखाधड़ी कर लोगों के खातों से रुपये निकालने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए मुठभेड़ के बाद तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने रविवार को जानकारी देते हुए बताया कि गत शनिवार बिसरख थाना पुलिस एसकेएस तिराहे पर संदिग्ध वाहनों की जांच कर रही थी. ग्रीन आर्च की ओर से एक मोटरसाइकिल पर सवार तीन संदिग्ध युवक आते दिखाई दिए. पुलिस के रोकने पर वे नहीं रुके और तेज गति से 6 प्रतिशत पार्क की ओर भागने लगे. उनकी मोटरसाइकिल फिसलकर गिर गई. खुद को घिरता देख बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग शुरू कर दी.

661 करोड़ मामले में सीबीआई का शिकंजा

- चंडीगढ़ और एनसीआर में कई ठिकानों पर छापेमारी

नई दिल्ली, 07 जून. केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने 661 करोड़ रुपये के सरकारी धन के कथित गबन मामले में रविवार को व्यापक कार्रवाई करते हुए चंडीगढ़, पंचकूला और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में छह स्थानों पर छापेमारी की.

यह मामला आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एयू फाइनेंस बैंक से जुड़े वित्तीय लेनदेन तथा सरकारी धन के कथित दुरुपयोग से संबंधित है।सीबीआई की कार्रवाई हरियाणा सरकार के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों और नोएडा स्थित विपम कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड तथा उसके निदेशक के परिसरों पर केंद्रित रही। जांच एजेंसी को संदेह है कि सरकारी कर्मचारियों और बैंक अधिकारियों ने कथित रूप से आपसी मिलीभगत से खाते खुलवाए, सरकारी धन का हस्तांतरण किया और बाद में रकम को विभिन्न माध्यमों से दूसरी जगह भेजा गया.

जांच के अनुसार, इस कथित धोखाधड़ी का असर हरियाणा सरकार के आठ विभागों और चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश के दो विभागों पर पड़ा है। इनमें नगर निगम चंडीगढ़ और क्रेस्ट चंडीगढ़ भी शामिल बताए गए हैं.

रसोई गैस की दर बढ़ाकर लूट रही सरकार : खरगे

- आमजन पर पड़ रही महंगाई की मार पर उठाए सवाल

नई दिल्ली, 07 जून. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने रसोई गैस सिलेंडर के दाम बढ़ाने को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा है कि वह अब रसोई गैस के बहाने जनता को लूट रही है और 12 साल में उसने घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 530 रुपये की वृद्धि की है.

श्री खरगे ने रविवार को सोशल मीडिया एक्स पर कहा कि मोदी सरकार ने पिछले चार महीनों में घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दामों में 89 रुपये की बढ़ोतरी की है. संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के मद्देनजर 41 देशों से ईंधन विविधीकरण की बात कही थी, लेकिन इसके बावजूद ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी एलपीजी की किल्लत बनी हुई है. उज्ज्वला योजना के 5.56 करोड़ परिवारों ने केवल एक बार या एक भी बार रिफिल नहीं कराया. इनमें से 3.30 करोड़ परिवारों ने तो एक भी सिलेंडर रिफिल नहीं लिया. उन्होंने पूछा कि क्या यह स्थिति सरकार की नीतियों और बढ़ती कीमतों का परिणाम नहीं है.

कीमत दूसरे देशों से काफी नीचे : सरकार

नई दिल्ली. देश में पेट्रोलियम उत्पादों के दामों में बढ़ोतरी की आलोचनाओं के बीच सरकार ने रविवार को सफाई दी कि भारतीय परिवारों को आज भी पड़ोसी देशों की तुलना में रसोई गैस (एलपीजी) कहीं सस्ती दर पर उपलब्ध करायी जा रही है और पश्चिम एशिया के संकट के बावजूद गैस की कमी नहीं होने दी गयी है. गौरतलब है कि फरवरी के अंत में ईरान युद्ध छिड़ने के बाद भारत में पश्चिम एशिया से ईंधन की आपूर्ति प्रभावित हुई है, साथ ही वैश्विक बाजार में कच्चे तेल के भावों में भी उछाल आया है अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए करीब 80 प्रतिशत आयात पर निर्भर है.

भारत जल्द बनेगा 45 अरब डॉलर की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था : डॉ. सिंह

नयी दिल्ली, 7 जून. विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था का वर्तमान आकार करीब नौ अरब डॉलर की है जिसके अगले कुछ वर्षों में 45 अरब डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है.

डॉ. सिंह ने रविवार को यहां इंडिया स्पेस कांग्रेस-2026 को संबोधित करते हुए कहा कि विकसित भारत-2047 के लक्ष्य को हासिल करने में अंतरिक्ष क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होगी. उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र में जारी सुधारों और निजी भागीदारी को बढ़ावा देने से भारत वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में तेजी से अपनी उपस्थिति मजबूत कर रहा है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी निवेश और नवाचार के लिए खोलने के बाद इस क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है. आज बड़ी संख्या में स्टार्टअप अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, उपग्रह निर्माण, प्रक्षेपण सेवाओं और अन्य नवाचारों के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र केवल वैज्ञानिक उपलब्धियों का माध्यम नहीं है, बल्कि यह आर्थिक विकास, रोजगार सृजन, निवेश आकर्षित करने और नई प्रौद्योगिकियों के विकास का भी प्रमुख आधार बन रहा है.

दिल्ली में केजरीवाल से मिलीं ममता

नई दिल्ली, 07 जून. नई दिल्ली में रविवार को आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री व तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी की अहम बैठक हुई.

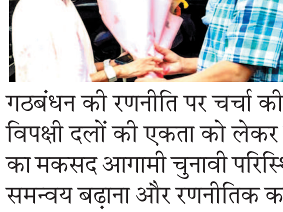

यह मुलाकात इंडिया ब्लॉक की आगामी बैठक से ठीक पहले हुई और इसे विपक्षी गठबंधन की एकजुटता के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माना जा रहा है. टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी भी ममता के साथ मौजूद रहे. बैठक में दोनों नेताओं ने आगामी राजनीतिक घटनाक्रम और गठबंधन की रणनीति पर चर्चा की. यह मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब विपक्षी दलों की एकता को लेकर चर्चाएं तेज हैं। सूत्रों के अनुसार, बैठक का मकसद आगामी चुनावी परिस्थितियों के मद्देनजर विपक्षी दलों के बीच समन्वय बढ़ाना और रणनीतिक कदम तय करना था.

टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

TATA

पंजीकृत कार्यालयः 11वीं मंजिल, टॉवर ए, पेनिनसुला बिजनेस पार्क, गणपतराव कदम मार्ग, लोअर परेल, मुंबई-400013
सीआईएन संख्या: U67190MH2008PLC187552

मांग नोटिस

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 ("अधिनियम") की धारा 13 (2) के अंतर्गत प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 ("नियम") के नियम 3 के साथ पढ़ा गया।

जबकि अधोहस्ताक्षरी अधिनियम के तहत टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (TCHFL) के अधिकृत अधिकारी होने के नाते और नियमों के नियम 3 के साथ पढ़े गए धारा 13 (12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिनियम की धारा 13(2) के तहत दिनांकित विस्तृत मांग नोटिस जारी कर, नीचे सूचीबद्ध उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता/गारंटर (सभी को एकवचन या सामूहिक रूप से "देनदार" कहा गया है)/कानूनी उत्तराधिकारी/कानूनी प्रतिनिधि को संबंधित मांग नोटिस में उल्लिखित राशि का भुगतान संबंधित नोटिस की तिथि से 60 दिनों के भीतर, नीचे दिए गए विवरण के अनुसार करने के लिए कहा गया है। उक्त नोटिस की प्रतियां पंजीकृत डाक (AD) द्वारा भेजी गई हैं और अधोहस्ताक्षरी के पास उपलब्ध हैं, और उक्त देनदार/कानूनी उत्तराधिकारी/कानूनी प्रतिनिधि, यदि चाहें तो, सामान्य कार्यालय समय के दौरान किसी भी कार्यदिवस पर अधोहस्ताक्षरी से संबंधित प्रति प्राप्त कर सकते हैं। उपरोक्त के संबंध में, उक्त देनदार/देनदारों के कानूनी वारिसों/कानूनी प्रतिनिधियों को एक बार फिर सूचित किया जाता है कि वे संबंधित सूचना/सूचनाओं की तिथि से 60 दिनों के भीतर टीसीएचएफएल को उनके नाम के आगे उल्लिखित राशि का भुगतान करें, साथ ही नीचे कॉलम (d) में उल्लिखित तिथियों से भुगतान और/या वसूली की तिथि तक नीचे दिए गए ब्याज का भी भुगतान करें, जैसा कि ऋण समझौते और उक्त देनदार/देनदारों द्वारा निष्पादित अन्य दस्तावेजों/लिखित दस्तावेजों (यदि कोई हो) के अनुसार देय है। ऋण के उचित पुनर्भुगतान की सुरक्षा के रूप में, उक्त देनदार/देनदारों द्वारा टीसीएचएफएल के पास निम्नलिखित गिरवी रखी गई संपत्तियां हैं।

ऋण खाता संख्या	ऋणी/कानूनी उत्तराधिकारी/कानूनी प्रतिनिधि का नाम	निम्न तिथियों पर कुल बकाया राशि रु.	डिमांड नोटिस और एनपीए की तिथि
TCHHL028400 0100383142 & TCHIN02840 00100384202	श्री कपिल धनगर (उधारकर्ता), और श्री राधे श्याम धनगर, श्रीमती ममता धनगर (सह-उधारकर्ता)	रु. 25,41,767/- और रु. 1,24,725/-	02.06.2026 और 01.06.2026
गिरवी रखी गई संपत्तियों/अचल संपत्तियों/बंधक संपत्तियों का विवरणः दुर्गा नगर वार्ड संख्या 16, छोटा बगरदा गांव, जिला इंदौर (मध्य प्रदेश) में स्थित मकान संख्या 20 बी का पूरा हिस्सा, जिसका कुल क्षेत्रफल 600 वर्ग फुट (55.76 वर्ग मीटर) है। सीमाएँः पूर्वः गली, पश्चिमः सड़क, उत्तरः प्लॉट संख्या 20 ए, दक्षिणः अन्य कॉलोनी			
TCHHL02840001004 31372 & TCHIN0284 00010043164	श्री राजेश सैनी (ऋणकर्ता), श्रीमती गीता सैनी (सह-ऋणकर्ता)	रु. 12,90,357/- और रु. 52,716/-	02.06.2026 और 01.06.2026
गिरवी रखी गई संपत्तियों/अचल संपत्तियों/बंधक संपत्तियों का विवरणः फ्लैट संख्या 102, प्लॉट संख्या 122, श्री वल्लभ ट्विन्स, श्री कृष्णा एवेन्यू फेज 3, ग्राम लिंबोडी, इंदौर (मध्य प्रदेश) का वह पूरा हिस्सा जिसका क्षेत्रफल 48.42 वर्ग मीटर (521 वर्ग फुट) है। सीमाएँ:- पूर्वः सड़क, पश्चिमः साझा मार्ग, उत्तरः अन्य भूमि, दक्षिणः लिफ्ट और फिर फ्लैट संख्या 103			
9371624 & 9707486	श्रीमती गिरजा बाई (सह-ऋणकर्ता), साथ ही स्वर्गीय नाहर सिंह सोलंकी की कानूनी उत्तराधिकारी और पत्नी, महेंद्र सोलंकी, स्वर्गीय नाहर सिंह सोलंकी (दिवंगत) के कानूनी उत्तराधिकारी और पुत्र, नरेंद्र सोलंकी, स्वर्गीय नाहर सिंह सोलंकी (दिवंगत) के कानूनी उत्तराधिकारी और पुत्र।	रु. 4,94,083/- और रु. 1,29,494/-	30.05.2026 और 09.04.2026
सुरक्षित संपत्तियों /अचल संपत्तियों/ गिरवी रखी गई संपत्तियों का विवरणः प्लॉट संख्या 399, कल्याण संपत ग्रीन, गांव काली बिल्लोद, तहसील देपालपुर, जिला इंदौर (मध्य प्रदेश), में स्थित अचल संपत्ति का संपूर्ण भाग, जिसका कुल क्षेत्रफल 800 वर्ग फुट (73.34 वर्ग मीटर) है और जिसकी सीमाएँ इस प्रकार हैं: पूर्वः कॉलोनी रोड, पश्चिमः प्लॉट सं.410, उत्तरः प्लॉट सं. 398, दक्षिणः प्लॉट सं. 400।			

*उपरोक्त दिनांकित संबंधित मांग नोटिसों में विशेष रूप से उल्लिखित दर पर अतिरिक्त ब्याज, आकस्मिक व्यय, लागत, शुल्क आदि सहित भुगतान और/या वसूली की तिथि तक किए गए खर्च भी शामिल होंगे। यदि उक्त देनदार उपरोक्त अनुसार टीसीएचएफएल को भुगतान करने में विफल रहता है, तो टीसीएचएफएल उक्त अधिनियम की धारा 13(4) और लागू नियमों के तहत उक्त गिरवी रखी गई संपत्ति/अचल संपत्ति के विरुद्ध पूरी तरह से उक्त देनदार/कानूनी उत्तराधिकारी/कानूनी प्रतिनिधि के जोखिम पर कार्रवाई करेगा, जिसमें लागत और परिणाम भी शामिल होंगे।

उक्त अधिनियम के तहत उक्त देनदार/कानूनी उत्तराधिकारी/कानूनी प्रतिनिधि को टीसीएचएफएल की पूर्व लिखित सहमति के बिना बिक्री, पट्टे या किसी अन्य माध्यम से उक्त गिरवी रखी गई संपत्ति/अचल संपत्ति का हस्तांतरण करने से प्रतिबंधित किया गया है। जो भी व्यक्ति अधिनियम या उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करता है या उल्लंघन में सहायता करता है, वह अधिनियम के तहत निर्धारित कारावास और/या दंड का भागी होगा।

दिनांकः- 08.06.2026
स्थानः- इंदौर
हस्ताक्षरित/- प्राधिकृत अधिकारी
टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के लिए

TATA

टाटा कैपिटल हाउसिंग फाईनेंस लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : 11 वीं मंजिल, टॉवर ए, पेनीनसुला बिजनेस पार्क, गणपतराव कदम मार्ग लोवर परेल, मुम्बई-400013.
शाखा कार्यालय : टाटा कैपिटल हाउसिंग फाईनेंस, तीसरी मंजिल, यूनिट 301, एनआरके टेक पार्क, प्लॉट नंबर 94, रिंग रोड, रेडिसन स्क्वायर के पास, इंदौर, मध्य प्रदेश 452010

अचल संपत्ति की बिक्री हेतु विक्रय सूचना

(सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) सपठित नियम 9(1) के तहत)

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8(6) सपठित नियम 9(1) के प्रावधान के साथ पठित वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अचल परिसंपत्तियों की बिक्री हेतु 30 दिवसीय ई-नीलामी सूचना

एतद्द्वारा सर्व सामान्य और विशेषकर अधोलिखित कर्जदार और/सह-कर्जदार या उनके कानूनी उत्तराधिकारियों/प्रतिनिधियों (कर्जदारों) को सूचित किया जाता है कि टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लि. (टीसीएचएफएल), को बंधक अधोल्लिखित अचल संपत्ति जिसका टीसीएचएफएल के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा कब्जा लिया गया, अधोलिखित कर्जदार और सह-कर्जदार से कुल बकाया राशि की वसूली के लिए **'जो है जहाँ है' और 'जहाँ है, जैसा भी है' और 'जो भी हैं'** आधार पर दिनांक **09-07-2026** को बिक्री की जायेंगी। आरक्षित मूल्य और धरोहर राशि जमा निम्न वर्णित हैं। एतद्वारा सूचित किया जाता है कि बिक्री के किसी स्थगन / बाधा के अभाव में उक्त संपत्ति ई-नीलामी के माध्यम से दिनांक **09-07-2026** को दोपहर **2:00** बजे बिक्री की जायेगी। संपत्ति खरीद के लिए मुहरबंद ई-नीलामी हेतु ईएमडी राशि का डिमांड डाफ्ट टीसीएचएफएल के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा दिनांक **08-07-2026** को समय सायं **5.00** बजे तक शाखा कार्यालय : **टाटा कैपिटल हाउसिंग फाईनेंस लिमिटेड,** तीसरी मंजिल, यूनिट 301, एनआरके टेक पार्क, प्लॉट नंबर 94, रिंग रोड, रेडिसन स्क्वायर के पास, इंदौर, मध्य प्रदेश 452010 पर जमा किया जाना चाहिए। प्रत्याभूत संपत्ति/अचल संपत्ति की बिक्री 'जैसी है जहाँ है शर्त' निम्न अनुसूची में उल्लिखित संक्षेप विवरणों के अनुसार होगी।

क्रं	ऋण खाता क्रं.	ऋणी(यों)/सह-ऋणी(यों)/कानूनी वारिस(सों)/जमानतदा(रों) के नाम	मांग सूचना दिनांक	आरक्षित मूल्य	बकाया राशि
1	TCHHL0284000100179999 & TCHHF0284000100180494 & TCHIN0284000100182269 & TCHIN0284000100242408	श्री बलवंत वर्मा श्रीमती घामा बाई	Rs. 17,23,647/- 10-10-2025	₹ 18,75,000/- अग्रिम जमा राशि (ईएमडी): - ₹ 1,87,500/- कब्जे का प्रकार : भौतिक	Rs. 18,85,496/- 02-06-2026

अचल संपत्ति का विवरण: अचल संपत्ति का समस्त भाग एवं अंश, उत्तर से दक्षिण की ओर प्लॉट नं. 136-ए/1, रॉयल टाउन, ग्राम महूगाँव, तहसील महू, जिला इंदौर, मध्य प्रदेश। क्षेत्रफल 450 वर्ग फीट (यानी 41.82 वर्ग मीटर)। **चर्तुसीमाएँ:** पूर्वः इस प्लॉट का शेष भाग, पश्चिम: सड़क, उत्तर: प्लॉट नंबर 137-ए, दक्षिण: इस प्लॉट का शेष भाग

नोट :- बोली लगाने वालों को सलाह दी जाती है कि बोली जमा करने से पहले पूरी जांच-पड़ताल कर लें। नीलामी किसी भी मुकदमे या विवाद के नतीजे पर निर्भर होगी।

नीलामी में, आम जनता को व्यक्तिगत रुप से अपनी बोली प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। हालाँकि, इस बिक्री के संबंध में कोई भी कर्तव्य निभाने वाला कोई भी अधिकारी या अन्य व्यक्ति, बेची गई अचल संपत्ति में कोई भी हित प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बोली नहीं लगाएगा, प्राप्त नहीं करेगा या प्राप्त करने का प्रयास नहीं करेगा।

बिक्री प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 में निर्धारित शर्तों और निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों के अधीन होगी:

कृपया ध्यान दें: ई-नीलामी पोर्टल https://auctionbazaar.com के माध्यम से दिनांक 09-07-2026 को दोपहर 2.00 बजे से 3.00 बजे के बीच प्रत्येक 5 मिनट अवधि के असीमित विस्तार के साथ होगी।

नियम और शर्ते : 1. अनुसूची में दिया विवरण अधोहस्ताक्षरी के पूर्ण ज्ञान व जानकारी में दिया गया है, किंतु इस उदघोषणा अधोहस्ताक्षरी किसी त्रुटी, गलती या चूक के लिए अधोहस्ताक्षरी जवाबदेय नहीं होगा। बोली राशि या निविदाकार संबंधी किसी विवाद की स्थिति में अचल संपत्ति को दुबारा नीलामी के लिए रखा जायेगा। 2. संपत्ति आरक्षित मूल्य से कम पर नहीं बेची जायेगी। 3. बोली वृद्धि राशि: **रु.10,000/- (दस हजार मात्र)** 4. संपत्ति की खरीद के लिए सभी निविदाएँ **'टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड'** के पक्ष में और उपरोक्त शाखाओं में देय डिमांड ड्राफ्ट के साथ जमा की जाएं। असफल निविदाकारों के डिमांड ड्राफ्ट वापस कर दिए जायेंगे। आरटीजीएस/ एनईएफटी/ आईएमपीएस के माध्यम से ईएमडी के भुगतान के लिए प्राधिकृत अधिकारी से संपर्क करें। 5. उच्चतम बोलीकारी को संबंधित लॉट का खरीदार घोषित किया जायेगा, बशर्ते वह विधिक रूप से बोली लगाने के लिए योग्य हो और उसकी बोली राशि आरक्षित मूल्य से कम न हो। 'प्राधिकृत अधिकारी' को अपने विवेक से उच्चतम बोली को अस्वीकार करने का अधिकार होगा जब उसे लगे कि पेशकश मूल्य स्पष्टरूप से अपर्याप्त है। 6. उपलब्ध कारणों से 'प्राधिकृत अधिकारी' को अपने विवेक से बिक्री को स्थगित / रोकने का अधिकार होगा। 7. संपत्ति की निरीक्षण दिनांक **25-06-2026** को **सुबह 11:00 बजे से सायं 5:00 बजे** तक किया जा सकेगा। 8. खरीददार घोषित व्यक्ति को ऐसी घोषणा के तुरंत बाद क्रय राशि की पच्चीस प्रतिशत राशि जिसमें ईएमडी राशि शामिल होगी प्राधिकृत अधिकारी के पास 24 घंटे के अंदर जमा करनी होगी, यह राशि जमा न किए जाने की स्थिति में संपत्ति नई नीलामी/निजी संधि द्वारा बिक्री के लिए रखी जायेगी। 9. उपरोक्त अनुसार प्रारंभिक राशि जमा कर दिए जाने पर क्रय राशि की शेष राशि संपत्ति की बिक्री की पुष्टि होने की तारीख से 15 दिनों तक खरीदार द्वारा 'प्राधिकृत अधिकारी को जमा करनी होगी, यदि 15वें दिन कोई रविवार या अन्य अवकाश होता है तो 15वें दिन के बाद प्रथम कार्य दिवस को जमा करनी होगी। 10. उपरोक्तानुसार भुगतान न होने पर संपत्ति नई नीलामी / निजी संधि द्वारा बिक्री के लिए रखी जायेगी। सभी जमा राशि टाटा कैपीटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के पास जब्त हो जायेगी और चूककर्ता खरीदारें संपत्ति पर अपने सभी दावे खो देगा। 11. टाटा कैपिटल हाउसिंग फाईनेंस लि. को ज्ञात ऋणभारों जिनके लिए संपत्ति देनदार है का विवरण-कोई नहीं, दावे, यदि कोई हों, जो संपत्ति के लिए प्रस्तुत किए गए हों और इसकी प्रकृति और मूल्य से संबंधित कोई अन्य ज्ञात विवरण: उपरोक्त तालिका के अनुसार। उपरोक्त अनुसूची के विवरण अनुसार इच्छुक बोलीदाता को सलाह दी जाती है कि वहां के संपत्ति कर, बिजली आदि के सांविधिक देनदारियों क्षेत्रों सहित संपत्ति पर ऋण भार के बारे में स्वयं जांच करें। 12. अन्य किसी विवरण के लिए अथवा ई-नीलामी पर प्रक्रिया ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए संभावित बोलीदाता सेवा प्रदाता, **अर्का ईमार्ट प्रायवेट लिमिटेड, 6-3-1090/1/1, दूसरी मंजिल, पार्ट बी, उमा हैदराबाद हाउस, राजभवन रोड़, सोमाजीगुडा, हैदराबाद 500082, ई-मेल आईडी : contact@auctionbazaar.com / support@auctionbazaar.com के माध्यम से अथवा मनीष बंसल, ईमेल आईडी manish.Bansal@tatacapital.com प्राधिकृत अधिकारी, मोबाईल नंबर 8588983696 पर संपर्क कर सकते हैं। कृपया अपना प्रश्न व्हाट्सएप नंबर 9999078669 पर भेजें ।** 13. उच्चतम घोषित बोली राशि पर उच्चतम बोली दाता द्वारा 1% का टीडीएस लागू और देय होगा। भुगतान उच्चतम बोलीदाता द्वारा मालिक/उधारकर्ता (ओं) के पैन में जमा करना आवश्यक है और चालान की प्रति हमारी कंपनी को प्रस्तुत की जाएगी। 14. उपरोक्त विवरणों के लिए कृपया प्रदान की गई प्रत्याभूत ऋणदाता की वेबसाइट **https://surl.li/fwugyh** का संदर्भ लें। 15. कृपया इस लिंक पर भी जाएं : **https://www.tatacapital.com/property-disposal.html**

कृपया ध्यान दें: टीसीएचएफएल ने इस संपत्ति की बिक्री/नीलामी के लिए उल्लिखित नीलामी भागीदार के अलावा किसी दलाल / एजेंट को नहीं लगाया है। इच्छुक पक्षों को इस मामले में सभी प्रश्नों और जांच के लिए केवल अधोहस्ताक्षरी या अधिकृत कार्यालय से संपर्क करना चाहिए।

ह/-
(प्राधिकृत अधिकारी)
टाटा कैपिटल हाउसिंग फाईनेंस लि.

स्थान : इन्दौर
दिनांक : 08-06-2026

TATA

टाटा कैपिटल हाउसिंग फाईनेंस लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : 11 वीं मंजिल, टॉवर ए, पेनीनसुला बिजनेस पार्क, गणपतराव कदम मार्ग लोवर परेल, मुम्बई-400013.
शाखा कार्यालय : टाटा कैपिटल हाउसिंग फाईनेंस, तीसरी मंजिल, यूनिट 301, एनआरके टेक पार्क, प्लॉट नंबर 94, रिंग रोड, रेडिसन स्क्वायर के पास, इंदौर, मध्य प्रदेश 452010

अचल संपत्ति की बिक्री हेतु विक्रय सूचना

(सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) सपठित नियम 9(1) के तहत)

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8(6) सपठित नियम 9(1) के प्रावधान के साथ पठित वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अचल परिसंपत्तियों की बिक्री हेतु 15 दिवसीय ई-नीलामी सूचना

एतद्द्वारा सर्व सामान्य और विशेषकर अधोलिखित कर्जदार और/सह-कर्जदार या उनके कानूनी उत्तराधिकारियों/प्रतिनिधियों (कर्जदारों) को सूचित किया जाता है कि टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लि. (टीसीएचएफएल), को बंधक अधोल्लिखित अचल संपत्ति जिसका टीसीएचएफएल के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा कब्जा लिया गया, अधोलिखित कर्जदार और सह-कर्जदार से कुल बकाया राशि की वसूली के लिए **'जो है जहाँ है' और 'जहाँ है, जैसा भी है' और 'जो भी हैं'** आधार पर दिनांक **24-06-2026** को बिक्री की जायेंगी। आरक्षित मूल्य और धरोहर राशि जमा निम्न वर्णित हैं। एतद्वारा सूचित किया जाता है कि बिक्री के किसी स्थगन / बाधा के अभाव में उक्त संपत्ति ई-नीलामी के माध्यम से दिनांक **24-06-2026** को दोपहर **2:00** बजे बिक्री की जायेगी। संपत्ति खरीद के लिए मुहरबंद ई-नीलामी हेतु ईएमडी राशि का डिमांड डाफ्ट टीसीएचएफएल के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा दिनांक **23-06-2026** को समय सायं **5.00** बजे तक शाखा कार्यालय : **टाटा कैपिटल हाउसिंग फाईनेंस लिमिटेड,** तीसरी मंजिल, यूनिट 301, एनआरके टेक पार्क, प्लॉट नंबर 94, रिंग रोड, रेडिसन स्क्वायर के पास, इंदौर, मध्य प्रदेश 452010 पर जमा किया जाना चाहिए। प्रत्याभूत संपत्ति/अचल संपत्ति की बिक्री 'जैसी है जहाँ है शर्त' निम्न अनुसूची में उल्लिखित संक्षेप विवरणों के अनुसार होगी।

क्रं	ऋण खाता क्रं.	ऋणी(यों)/सह-ऋणी(यों)/कानूनी वारिस(सों)/जमानतदा(रों) के नाम	मांग सूचना दिनांक	आरक्षित मूल्य	बकाया राशि
1	TCHHL0097000100329815 & TCHIN0097000100331549	श्री कमलेश जाट श्रीमती ज्योति जाट	Rs.18,55,931/- 03-07-2025	Rs. 17,90,000/- अग्रिम जमा राशि (ईएमडी): - Rs.1,79,000/- कब्जे का प्रकार : भौतिक	Rs. 21,73,733/- 30-05-2026
	अचल संपत्ति का विवरण : अचल संपत्ति का संपूर्ण भाग एवं अंश, प्लॉट नंबर 25, डायमंड पार्क में स्थित वार्ड नंबर 04, नगर परिषद राजगढ़, तहसील सरदारपुर, जिला धार (म.प्र.) क्षेत्रफल 1000 वर्ग फीट (यानी 92.936 वर्ग मीटर) **चर्तुसीमाएँ:** पूर्व: प्लॉट नंबर 08, पश्चिम: आम रास्ता, उत्तर: प्लॉट नंबर 24, दक्षिण: प्लॉट नंबर 26				
2	TCHHL0284000100148116 & TCHIN0284000100150771	श्री अमजद खान श्रीमती नजमाबी	Rs. 23,69,258/- 14-01-2025	फ्लेट नं. 202 - Rs. 8,90,000/- एवं फ्लेट नं. 203 - Rs. 10,40,000/- अग्रिम जमा राशि (ईएमडी): - फ्लेट नं. 202 - Rs. 89,000/- एवं फ्लेट नं. 203 - Rs. 1,04,000/- कब्जे का प्रकार : भौतिक	Rs. 30,20,053/- 30-05-2026
	अचल संपत्ति का विवरण : **संपत्ति - 1:** ग्राम काली बिल्लोद, तहसील देपालपुर, जिला इंदौर स्थित आशियाना पैलेस कॉलोनी के प्लॉट नंबर 76, 77, 78, 95, 96 एवं 97 पर निर्मित 'वामन हट्स सतगुरु रेसीडेंसी' के ब्लॉक ए की दूसरी मंजिल पर स्थित अचल संपत्ति फ्लैट नंबर 202 का संपूर्ण भाग, जिसका कारपेट एरिया 405 वर्ग फुट है। **चर्तुसीमा :-** पूर्व में: सड़क, पश्चिम में: कॉमन पैसेज, उत्तर में: फ्लैट नंबर 201-ब्लॉक ए, दक्षिण में: फ्लैट नंबर 203-ब्लॉक ए **संपत्ति - 2:** ग्राम काली बिल्लोद, तहसील देपालपुर, जिला इंदौर स्थित आशियाना पैलेस कॉलोनी के प्लॉट नंबर 76, 77, 78, 95, 96 एवं 97 पर निर्मित 'वामन हट्स सतगुरु रेसीडेंसी' के ब्लॉक ए की दूसरी मंजिल पर स्थित अचल संपत्ति फ्लैट नंबर 203 का संपूर्ण भाग, जिसका कारपेट एरिया 471 वर्ग फुट है। **चर्तुसीमा :-** पूर्व में: सड़क, पश्चिम में: फ्लैट नंबर 204-ब्लॉक ए, उत्तर में: कॉमन पैसेज, दक्षिण में: सड़क				
3	TCHHL0284000100351389 & TCHIN0284000100352741	श्री राहुल मारोठिया श्रीमती बबिता मारोठिया	Rs. 22,28,255/- 09-06-2025	Rs. 21,80,000/- अग्रिम जमा राशि (ईएमडी): - Rs.2,18,000/- कब्जे का प्रकार : भौतिक	Rs. 26,09,985/- 30-05-2026
	अचल संपत्ति का विवरण : ग्राम लिंबोदी, तहसील व जिला इंदौर (म.प्र.) में स्थित श्री कृष्णा एवेन्यू फेज-3 के प्लॉट नंबर 26 पर निर्मित 'सनराइज ट्विन्स' के 'ब्लॉक-बी' की दूसरी मंजिल पर स्थित अचल संपत्ति प्रकोष्ठ नंबर 201 का संपूर्ण भाग, जिसका निर्मित क्षेत्र (बिल्ट-अप एरिया) 713 वर्ग फुट (66.26 वर्ग मीटर) है। **चर्तुसीमा** :- पूर्व में: प्लॉट नंबर 27, पश्चिम में: प्रकोष्ठ नंबर 202, उत्तर में: प्रकोष्ठ नंबर 204, दक्षिण में: सड़क				
4	TCHHL064300010000646 & TCHHF0643000100000661 & TCHIN0643000100147373 & TCHIN0643000100260329 & TCHIN0643000100269413	श्री सुरेश पाटीदार श्रीमती पुष्पा पाटीदार	Rs. 59,97,131/- 10-12-2024	Rs. 40,50,000/- अग्रिम जमा राशि (ईएमडी): - Rs.4,05,000/- कब्जे का प्रकार : भौतिक	Rs. 73,73,374/- 30-05-2026
	अचल संपत्ति का विवरण : अचल संपत्ति का संपूर्ण भाग, आवासीय मकान 09 वार्ड नंबर 30, सांवरिया कॉलोनी (बन्नाखेड़ा), जावरा, जिला रतलाम (मध्य प्रदेश) कुल क्षेत्रफल 1000 वर्ग फीट (92.90 वर्ग मीटर) **चर्तुसीमाएँ:-** पूर्व: 5 फीट की गली, पश्चिम: 30 फीट चौडी कॉलोनी रोड, उत्तर: पाठकजी का मकान, दक्षिण: अन्य का प्लॉट ***स्पष्टीकरण :- ऋणी द्वारा TCHFL के खिलाफ दायर किया गया सिक्योरिटाइजेशन आवेदन (SA/832/2025) DRT जबलपुर में लंबित है, उक्त मामले में TCHFL के खिलाफ कोई स्टेआर्डर पास नहीं किया गया है।***				

नोट :- बोली लगाने वालों को सलाह दी जाती है कि बोली जमा करने से पहले पूरी जांच-पड़ताल कर लें। नीलामी किसी भी मुकदमे या विवाद के नतीजे पर निर्भर होगी।

नीलामी में, आम जनता को व्यक्तिगत रुप से अपनी बोली प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। हालाँकि, इस बिक्री के संबंध में कोई भी कर्तव्य निभाने वाला कोई भी अधिकारी या अन्य व्यक्ति, बेची गई अचल संपत्ति में कोई भी हित प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बोली नहीं लगाएगा, प्राप्त नहीं करेगा या प्राप्त करने का प्रयास नहीं करेगा।

बिक्री प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 में निर्धारित शर्तों और निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों के अधीन होगी:

कृपया ध्यान दें: ई-नीलामी पोर्टल https://auctionbazaar.com के माध्यम से दिनांक 24-06-2026 को दोपहर 2.00 बजे से 3.00 बजे के बीच प्रत्येक 5 मिनट अवधि के असीमित विस्तार के साथ होगी।

नियम और शर्ते : 1. अनुसूची में दिया विवरण अधोहस्ताक्षरी के पूर्ण ज्ञान व जानकारी में दिया गया है, किंतु इस उदघोषणा अधोहस्ताक्षरी किसी त्रुटी, गलती या चूक के लिए अधोहस्ताक्षरी जवाबदेय नहीं होगा। बोली राशि या निविदाकार संबंधी किसी विवाद की स्थिति में अचल संपत्ति को दुबारा नीलामी के लिए रखा जायेगा। 2. संपत्ति आरक्षित मूल्य से कम पर नहीं बेची जायेगी। 3. बोली वृद्धि राशि: **रु.10,000/- (दस हजार मात्र)** 4. संपत्ति की खरीद के लिए सभी निविदाएँ **'टाटा कैपिटल हाउसिंग फाईनेंस लिमिटेड'** के पक्ष में और उपरोक्त शाखाओं में देय डिमांडड्राफ्ट के साथ जमा की जाएं। असफल निविदाकारों के डिमांड ड्राफ्ट वापस कर दिए जायेंगे। आरटीजीएस/ एनईएफटी/ आईएमपीएस के माध्यम से ईएमडी के भुगतान के लिए प्राधिकृत अधिकारी से संपर्क करें। 5. उच्चतम बोलीकारी को संबंधित लॉट का खरीदार घोषित किया जायेगा, बशर्ते वह विधिक रूप से बोली लगाने के लिए योग्य हो और उसकी बोली राशि आरक्षित मूल्य से कम न हो। 'प्राधिकृत अधिकारी' को अपने विवेक से उच्चतम बोली को अस्वीकार करने का अधिकार होगा जब उसे लगे कि पेशकश मूल्य स्पष्टरूप से अपर्याप्त है। 6. उपलब्ध कारणों से 'प्राधिकृत अधिकारी' को अपने विवेक से बिक्री को स्थगित / रोकने का अधिकार होगा। 7. संपत्ति की निरीक्षण दिनांक **17-06-2026** को **सुबह 11:00 बजे से सायं 5:00 बजे** तक किया जा सकेगा। 8. खरीददार घोषित व्यक्ति को ऐसी घोषणा के तुरंत बाद क्रय राशि की पच्चीस प्रतिशत राशि जिसमें ईएमडी राशि शामिल होगी प्राधिकृत अधिकारी के पास 24 घंटे के अंदर जमा करनी होगी, यह राशि जमा न किए जाने की स्थिति में संपत्ति नई नीलामी/निजी संधि द्वारा बिक्री के लिए रखी जायेगी। 9. उपरोक्त अनुसार प्रारंभिक राशि जमा कर दिए जाने पर क्रय राशि की शेष राशि संपत्ति की बिक्री की पुष्टि होने की तारीख से 15 दिनों तक खरीदार द्वारा 'प्राधिकृत अधिकारी को जमा करनी होगी, यदि 15वें दिन कोई रविवार या अन्य अवकाश होता है तो 15वें दिन के बाद प्रथम कार्य दिवस को जमा करनी होगी। 10. उपरोक्तानुसार भुगतान न होने पर संपत्ति नई नीलामी / निजी संधि द्वारा बिक्री के लिए रखी जायेगी। सभी जमा राशि टाटा कैपीटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के पास जब्त हो जायेगी और चूककर्ता खरीदारें संपत्ति पर अपने सभी दावे खो देगा। 11. टाटा कैपिटल हाउसिंग फाईनेंस लि. को ज्ञात ऋणभारों जिनके लिए संपत्ति देनदार है का विवरण-कोई नहीं, दावे, यदि कोई हों, जो संपत्ति के लिए प्रस्तुत किए गए हों और इसकी प्रकृति और मूल्य से संबंधित कोई अन्य ज्ञात विवरण: उपरोक्त तालिका के अनुसार। उपरोक्त अनुसूची के विवरण अनुसार इच्छुक बोलीदाता को सलाह दी जाती है कि वहां के संपत्ति कर, बिजली आदि के सांविधिक देनदारियों क्षेत्रों सहित संपत्ति पर ऋण भार के बारे में स्वयं जांच करें। 12. अन्य किसी विवरण के लिए अथवा ई-नीलामी पर प्रक्रिया ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए संभावित बोलीदाता सेवा प्रदाता, **अर्का ईमार्ट प्रायवेट लिमिटेड, 6-3-1090/1/1, दूसरी मंजिल, पार्ट बी, उमा हैदराबाद हाउस, राजभवन रोड़, सोमाजीगुडा, हैदराबाद 500082, ई-मेल आईडी : contact@auctionbazaar.com / support@auctionbazaar.com के माध्यम से अथवा मनीष बंसल, ईमेल आईडी manish.Bansal@tatacapital.com प्राधिकृत अधिकारी, मोबाइल नंबर 8588983696 पर संपर्क कर सकते हैं। कृपया अपना प्रश्न व्हाट्सएप नंबर 9999078669 पर भेजें।** 13. उच्चतम घोषित बोली राशि पर उच्चतम बोली दाता द्वारा 1% का टीडीएस लागू और देय होगा। भुगतान उच्चतम बोलीदाता द्वारा मालिक/उधारकर्ता (ओं) के पैन में जमा करना आवश्यक है और चालान की प्रति हमारी कंपनी को प्रस्तुत की जाएगी। 14. उपरोक्त विवरणों के लिए कृपया प्रदान की गई प्रत्याभूत ऋणदाता की वेबसाइट **https://surl.li/uhyaip** का संदर्भ लें। 15. कृपया इस लिंक पर भी जाएं : **https://www.tatacapital.com/property-disposal.html**

कृपया ध्यान दें: टीसीएचएफएल ने इस संपत्ति की बिक्री/नीलामी के लिए उल्लिखित नीलामी भागीदार के अलावा किसी दलाल / एजेंट को नहीं लगाया है। इच्छुक पक्षों को इस मामले में सभी प्रश्नों और जांच के लिए केवल अधोहस्ताक्षरी या अधिकृत कार्यालय से संपर्क करना चाहिए।

ह/-
(प्राधिकृत अधिकारी)
टाटा कैपिटल हाउसिंग फाईनेंस लि.

स्थान : इन्दौर (म.प्र.)
दिनांक : 08-06-2026